न्यायालयः चौबीसवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर (मध्य प्रदेश)
(समक्ष : श्रीकृष्णा डागलिया)

जमानत आवेदन क.: 1898/2025
फायलिंग क्रमांकः बी.ए./28110/2025
सी.एन.आर.: एम.पी.–0901–033172–2025

श्रीमती एकता सोनी पति श्री राहुल तिवारी
उम्र–35 वर्ष,
व्यवसाय–असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर(जी.एस.टी.)
निवासी–292,पावन धाम कालोनी, निपानिया,
इंदौर म.प्र

..... **आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केंद्र लसुड़िया
जिला इंदौर (म.प्र.) ..... **अनावेदक/अभियोगी**

29.05.2025 अभियुक्त एकता सोनी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, इंदौर के न्यायालय से मय पुलिस प्रतिवेदन एवं केस डायरी सहित इस न्यायालय को विधिवत निराकरण हेतु प्राप्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त एकता सोनी द्वारा अधिवक्ता श्री शादाब खान उपस्थित। अभियुक्त एकता सोनी को आगे *आवेदक* के रूप में संबोधित किया जावेगा।

अनावेदक राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री संजय शुक्ला उपस्थित।

आपत्तिकर्ता गौरव तोषनिवाल द्वारा अधिवक्ता श्री नितिन सिंह भाटी। अधिवक्ता श्री नितिन सिंह भाटी ने आपत्तिकर्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया।

आपत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। प्रतिलिपि आवेदक अधिवक्ता को दी गई।

जमानत आवेदन एवं आपत्ति पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए गए।

मामला थाना लसुड़िया की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 565/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 291, 296, 119(1), 351(3) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 से संबंधित है जो आवेदक व उसके पति राहुल तिवारी के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई है। मामले में अंतिम प्रतिवेदन पेश नहीं हुआ है।

अभियोजन का मामला

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि आपत्तिकर्ता ने अपने स्वत्व की संपत्ति की प्रथम मंजिल किराए पर 11 माह के लिए आवेदक असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर (जी.एस.टी.) व उसके पति पटवारी सह–आरोपी राहुल को दी थी। अनुबंध की अवधि समाप्त होने, आपत्तिकर्ता द्वारा कई बार बोले जाने एवं मकान खाली करने के लिए लीगल नोटिस भिजवाने के उपरांत भी आवेदक व उसके पति ने आपत्तिकर्ता के स्वत्व की संपत्ति को खाली नहीं किया। आवेदक व उसका पति सह–आरोपी राहुल बिना किराया दिए कई महीनों से उक्त संपत्ति पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। दिनांक 21.05.2025 को जब आपत्तिकर्ता अपनी मां, पत्नी व सास–ससुर के साथ अपने स्वत्व व आधिपत्य वाले तल मंजिल के आवास पर जाने लगा तब आवेदक व उसके पति सह–आरोपी राहुल ने उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया, उन पर हमला करने के लिए कुत्ता छोड़ दिया, मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां दीं और घर खाली करने के एवज में 20 लाख रूपए की मांग करते हुए उन सभी के साथ मारपीट की और पुनः घर पर आने की दशा में जान से मारने की धमकी दी।

जमानत आवेदन संक्षेप में

आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। पुलिस आवेदक को असत्य आधारों पर अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर एवं गिरफ्तार कर जेल पहुंचाना चाहती है। आवेदक आद्यतन अपराधी नहीं है। उसका पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक शासकीय नौकरी करती है एवं असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर (जी.एस.टी.) के पद पर इंदौर जिले में पदस्थ है। आवेदक इंदौर की स्थाई निवासी है। आवेदक की चल–अचल संपत्ति भी इंदौर में स्थित है। आवेदक के फरार होने अथवा साक्ष्य प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं

है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आक्षेपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है। आवेदक न्यायालय की समस्त आदेश व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु तत्पर है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है, साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी एवं उसके परिवार को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आवेदक की ओर से जमानत आवेदन के साथ स्वयं की एमजीएम मेडीकल कॉलेज से कराई गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट की प्रति पेश की गई है।

जमानत आवेदन प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होने के संबंध में आवेदक द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पुलिस प्रतिवेदन संक्षेप में

पुलिस द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह आपत्ति ली गई है कि आवेदक असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर (जी.एस.टी.) के पद पर पदस्थ है एवं उसका पति सह–आरोपी राहुल उज्जैन में पटवारी के पद पर पदस्थ है। शासकीय पद पर पदस्थ होने के बावजूद भी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आवेदक व सह–आरोपी राहुल द्वारा किराए के आवास (प्रथम मंजिल) पर संविदा की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी किराया दिये बिना जबरन कब्जा कर रखा है। पूर्व में भी आवेदक के पूर्व मकान मालिक द्वारा तिलकनगर थाने में आवेदक के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। आवेदक व उसका पति सह–आरोपी राहुल आपत्तिकर्ता गौरव के निवास को खाली करने के लिए 20 लाख रूपए की अवैध मांग कर रहे हैं। आवेदक अपने पद का दुरूपयोग पर आपत्तिकर्ता, जो कि अहमदाबाद में नौकरी करता है एवं अपना मकान खाली कराने बार–बार नहीं आ सकता, के मकान पर जबरन बिना किराया दिए कब्जा कर रखा है। आवेदक व उसके पति को कानून का कोई डर नहीं है उनका आचरण उनके पद प्रतिष्ठा के विपरीत है। अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर वे फरियादी पक्ष को डराएंगे व धमकाएंगे। आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर समाज के लोगों का कानून के प्रति विश्वास आहत होगा। आवेदक के विरूद्ध जो आरोप है उसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आवेदक का कृत्य साधारण प्रकृति का कृत्य नहीं है। आवेदक द्वारा जिस तरह से नोटिस दिए जाने के उपरांत भी किराए के मकान पर बिना किराया दिये जबरन कब्जा कर रखा है उससे दर्शित है कि आवेदक

को जमानत का लाभ दिये जाने पर आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन नहीं करेगी। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा ली गई आपत्ति

अपर लोक अभियोजक द्वारा उसी आशय की आपत्ति ली गई है जिस आशय की आपत्ति पुलिस प्रतिवेदन में पुलिस द्वारा ली गई है।

आपत्तिकर्ता द्वारा लिखित में ली गई आपत्ति

आपत्तिकर्ता द्वारा ली गई आपत्ति संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक व उसका पति सह–आरोपी राहुल सरकारी पद पर पदस्थ है एवं सरकारी महकमे में काफी रसूख रखते हैं। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह अपने पद का दुरूपयोग कर जांच को प्रभावित करेगी एवं साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगी। आवेदक व उसका पति सह–आरोपी राहुल आपत्तिकर्ता के कब्जे वाले मकान के निचले भाग को हड़प करना चाहते हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा एफ.आई.आर लेखबद्ध कराए जाने के बाद अन्य व्यक्तियों से एवं अन्य माध्यम से आवेदक आपत्तिकर्ता को एवं अन्य आहत व्यक्तियों को डरा धमका रही है और यह सूचना करा रही है कि कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदक ले लेगी और आहत पक्ष कुछ नहीं कर पाएगा एवं आहत पक्ष अपने मकान को भूल जाए। यह भी धमकी आवेदक पक्ष की ओर से दी जा रही है कि अग्रिम जमानत होने के बाद वह आपत्तिकर्ता का पूरा मकान हड़प लेगी और आपत्तिकर्ता द्वारा पुनः मकान पर आने की दशा में उसका मर्डर करवा देगी। यह भी धमकी आवेदक पक्ष की ओर से दी जा रही है कि यदि आपत्तिकर्ता वापस थाने गया तो आवेदक आपत्तिकर्ता को थाने के बाहर ही गोली मरवा देगी। आपत्तिकर्ता व उसका परिवार डरा हुआ है। आपत्तिकर्ता डर के मारे अपने कार्यस्थल अहमदाबाद नहीं जा पा रहा है और मजबूरन उसे डर के मारे रतलाम में रहना पड़ रहा है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है। आपत्ति के समर्थन में आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए गए हैं। फेहरिस्त के साथ प्रस्तुत एक दस्तावेज आवेदक के पूर्व मकान मालिक श्री जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा थाना प्रभारी तिलकनगर को आवेदक द्वारा किराया अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत भी मकान खाली न करने एवं सीनियर सिटीजन श्री जितेन्द्र कुमार जैन व उनकी पत्नी को आवेदक द्वारा परेशान किए जाने के संबंध में की गई शिकायत

है। उक्त दस्तावेज पर ड्यूटी ऑफिसर थाना तिलकनगर इंदौर की प्राप्ति स्वरूप सील व हस्ताक्षर मौजूद हैं। फेहरिस्त के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेज सह–किराएदार श्री अमित चौरसिया द्वारा आवेदक के विरूद्ध थाना प्रभारी लसुड़िया को की गई शिकायत है जिसमें श्री अमित चौरसिया ने आवेदक द्वारा उसे परेशान करने, गाली–गलौच करने व मकान पर कब्जा करने के संबंध में शिकायत की है। फेहरिस्त के साथ कुछ नोटिसों की प्रतियां भी पेश की गई हैं।

जमानत आवेदन पर निष्कर्ष

अभियोजन के मामले अनुसार आवेदक व उसका पति शासकीय सेवा में होकर क्रमशः असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर (जी.एस.टी) व पटवारी है। अभियोजन के मामले अनुसार उन्होंने आपत्तिकर्ता से आपत्तिकर्ता के स्वत्व के मकान की प्रथम मंजिल 11 माह के लिए किराए पर ली थी, जिसे अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी खाली नहीं किया गया। अभियोजन मामले अनुसार आवेदक व उसका पति बिना किराया दिए आपत्तिकर्ता के मकान में कई महीनों से जबरन कब्जा किए हुए है। अभियोजन के मामले अनुसार घटना दिनांक को जब आपत्तिकर्ता अपने परिवार सहित उक्त मकान के अपने आधिपत्य वाली तल मंजिल पर गया तब आवेदक व उसके सह–अभियुक्त पति राहुल ने उन पर हमला करने के आशय से कुत्ता छोड़ दिया, उनके साथ गाली–गलौच की, 20 लाख रूपए की मांगनी कर मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। घटना दिनांक के पूर्व आवेदक के विरूद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों, जिनकी प्रतियां आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, को विचार में लिया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत एमएलसी रिपोर्ट एवं शिकायतकर्ता व अन्य आहतगण की एमएलसी रिपोर्ट को विचार में लिया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा लिखित में प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदक शासकीय सेवा में कार्यरत महिला है एवं एक माह से गर्भवती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि सिविल डिस्प्यूट को आपत्तिकर्ता द्वारा आपराधिक रंग दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता के उक्त तर्कों को विचार में लिया गया। आवेदक पर जिन कृत्यों का आक्षेप है उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों को विचार में लिया गया है। पुलिस प्रतिवेदन में ली गई आपत्ति को विचार में लिया गया।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के साथ विचार में लेने के उपरांत, गुणदोष पर टिप्पणी किए बिना, न्यायालय

आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझता है। बाद विचार आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी लसुड़िया को सूचनार्थ मय केस डायरी तत्काल प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीकृष्णा डागलिया)
चौबीसवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)